Investment of Funds in Equities by Unit Trust of India

1000. SHRI P. M. MEHTA :
SHRI SHRIKISHAN MODI :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether Government are considering an immediate reorientation of the investment policies and over-hauling of the investment portfolio of the Unit Trust of India;

(b) whether more emphasis will now be laid by Unit Trust of India on investing its funds in growth equities, and

(c) if so, the reasons therefor and how far the reorientation and over-hauling will help non-yielding investments?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : (a) The Unit Trust of India is an autonomous statutory corporation and its investment policies are decided by its own Board of Trustees.

(b) and (c). In making its investments the Unit Trust of India has to take into account the need for ensuring the safety and liquidity of its funds as well as the need for realising a good yield on them. In the initial years of its working, the Trust laid relatively more emphasis on the safety of the capital, and therefore a major portion of its funds got routed to fixed-income-bearing securities like preference shares and debentures, while the share of equities was comparatively smaller. Now that the investible funds of the Trust have exceeded Rs. 100 crores and in view of the need to give a satisfactory income distribution, the Trust propose to give more weightage to equity so that the income could be supplemented by discreet profit taking, whenever possible.

12.00 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Discontent among Teachers Delhi University

SHRI BAKSI NAYAK (Phulbani) : I call the attention of the Minister of Education, Social Welfare and Culture to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The reported discontent among teachers of Delhi University over the setting up of College Councils."

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : It has been reported that teachers of Delhi Colleges went on a token strike on August 2, 1972, in protest against the setting up of College Councils as provided in the Statutes framed by the Delhi University under the Delhi University Act, as recently amended by the Delhi University (Amendment) Ordinance. The apprehension among the teachers is that the setting up of the College Councils is a step towards delinking of the Colleges from Delhi University. The Vice-Chancellor, Delhi University has already given a categorical assurance in the meeting of the Academic Council held on July 4, 1972, that the Ordinance maintains the *status quo* in respect of the existing relationship between the Colleges and the University as also in regard to parity of service conditions and pay scales of the teachers of the Colleges and the teachers appointed by the University. The Vice-Chancellor also stated in the meeting that the idea of establishment of College Councils was to have better supervision and administration of Colleges, their closer relationship with the University and decentralisation of some of the administrative functions of the University authorities. In

his letter to me the Vice-Chancellor had explained his plan of College Councils in the following words —

"I suggest that we immediately create, well before the commencement of the new academic session in July 2-3 College Councils which might look after groups of Colleges The plan is that in each cluster of Colleges, we pool our resources, arrange for the cooperative teaching of the Honours level, provide adequate library laboratory, sports and other facilities by involving teachers and students in direct and meaningful way In solution of problems we try to improve the general tone of life in Colleges The arrangements I am proposing have been endorsed by a Committee appointed by the University Grants Commission for looking into the problems of Delhi University This Committee which was presided over by the Vice-Chancellor had made it clear that the participation of College teachers in post-Graduate teaching (both lectures and tutorials) should not only continue but increase in the coming years In spite this, some misunderstanding has been created in certain sections of the teaching community I should like to take this opportunity to clarify that the Government of India do not have under their consideration any proposal to delink the Colleges from the University In fact the Government would consider such a proposal to be a retrograde step

According to the definition of "Teachers" incorporated in the Delhi University Act, "Teachers" includes Professors, Readers, Lecturers and other persons imparting instruction in the University or in any College or Hall Further, "Teachers of the University" means persons appointed or recognised by the University for the purpose of imparting instruction in the University or in any College I should like to state that the Government has no intention of changing these definitions

SHRI BAKSI NAYAK The Delhi University Teachers' Association has been agitating against the constitution of the college councils for quite some time There was a complete strike by the teachers on Wednesday The study in the university is naturally being affected The teachers, I understand, used some filthy expressions against the vice-chancellor when they demonstrated outside the office and building on Tuesday These expressions were unbecoming of the teachers who themselves are responsible for maintaining discipline Therefore, there was almost an ugly situation

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) That is not correct

SHRI BAKSI NAYAK May I know from the hon Minister the objections of the teachers' associations against the college councils and whether those objections are considered as valid by the Government of India, and if those objections are not valid and the movement is either politically motivated or initiated by certain teachers who do not generally work what action, if any, is proposed to be taken against the teachers concerned and also for maintaining discipline in the university Personally, I do not find any justifications in the movement of the teachers The councils will mean better administrative control and would not mean delinking of the colleges from the university and their service conditions would not be affected in any way.

I would like to have the answer from the hon Minister on the following points namely —

(i) What is the representation of teachers in the proposed councils?

(ii) Does the ordinance envisage negligible representation of teachers whose opinion can be easily outvoted by others?

[Shri Baksi Nayak]

(iii) Were the teachers consulted before the promulgation of the ordinance?

(iv) Was the Delhi University Teachers' Association consulted about it?

When the teachers wanted time within 48 hours to negotiate, the vice-chancellor refused. Why did he do so?

MR. SPEAKER : If all these questions are put in the form of one question, I would not mind, but let not the hon. Member ask the questions and number them one after the other because in that case it becomes very difficult to defend them under the rules. Let him put all of them as one question.

PROF. S. NURUL HASAN : I would first of all like to express my deep sense of pain at the unseemly demonstration made by members of my own profession .

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What unseemly demonstration? Do they not have the right to demonstrate?

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : He disowns them now because he has become a Minister.

PROF. S. NURUL HASAN : The teachers know it. It is difficult to explain to people who are not intimately connected with universities what is expected from teachers by way of decorum and propriety. The teachers are supposed to set examples to their students....

AN HON. MEMBER : He is casting aspersions.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about the behaviour of political leaders in the country? He cannot expect teachers to function in isolation?

PROF. S. NURUL HASAN : So far as that is concerned, the hon. Member knows better.

अध्यक्ष महोदय : आप जरा पेशेंस रखें ....

SHRI ATAL BHIARI VAJPAYEE : He said that it was very unseemly. I would like to know what type of unseemly behaviour it was...

अध्यक्ष महोदय : आप मे थोड़ी पेशेंस होनी चाहिये । आखिर रोज सारे दिन तो फ्राउनिंग फेसेज नही देखे जा सकते ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह बिना बात के टीचर्स पर आक्षेप लगा रहे है ।

अध्यक्ष महोदय · लेकिन आप सुनिये उन की बात को । पेशेंस रखिये । कभी अपने मुखालिफ भी सुनना पड़ता है कभी अपने पक्ष मे भी सुनना पड़ता है । तो सुनिये । सारे दिन इस तरह से तो नही ठीक है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी . सुन तो रहे हैं ।

You are a seasoned parliamentarian, Sir, and you now that interruption is part of the debate.

अध्यक्ष महोदय : आप के चेहरे पर इतना तनाव था, मुझे आपकी सेहत का भी ख्याल रखना है ।

PROF. S. NURUL HASAN : I should like to make it clear that Government have full confidence in the vice-chancellor and in the policies that he is pursuing in order to improve the functioning of the University of Delhi. In the letter that he sent to the president of the Delhi University Teachers' Association, and again in another circular letter which he sent to the teachers in general, he explained his position.

In his letter to the Delhi University Teachers' Association, the Vice-Chancellor stated *inter alia* :

"I must confess I am greatly distressed at the misunderstanding that has been caused by the Ordinance issued by the Government, more particularly the clause with regard to the setting up of the College Councils. Frankly,

I am not able to see how such an Ordinance can initiate a historical process which may ultimately led to a complete segregation of undergraduate teaching from postgraduate teaching in the University. I do believe that university departments have got to be given a reasonable amount of autonomy to function effectively and to shape their future course of development, but at no stage have I felt that this was possible through what has come to be called decentralisation or delinking of colleges from the University. Such a step would tend to impoverish our academic life, both at the undergraduate and postgraduate levels and it should not be contemplated in the interest of postgraduate education itself. Our entire effort has been to strengthen the federal character of the University while decentralising power and responsibility and to maintain the link between undergraduate and postgraduate education. But since such fears have been expressed, it is essential that these fears are dispelled through a frank and free discussion".

Furthermore, a question was asked about the action. I think the main action is to explain the significance and meaning of the Ordinance as well as of the statute framed by the University thereunder the teachers so that the misapprehensions which have been caused may be removed.

In regard to the question of the composition of the College Councils, I would like to read out the relevant statute which has been made.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : All nominated.

PROF. S. NURUL HASAN : "Each College Council shall consist of the following members, namely: Chairman of the Council *ex-officio*; 5 members Principals of colleges by rotation according to seniority from among the Principals of the colleges within the purview of the Council; 2 university professors be nominated by the Academic Council; 4 educationists not being employees of the University or of college of whom 2 shall be nominated by the Visitor and 2 by the Executive Council; 5 teachers by rotation according to seniority from among teachers in the colleges within the purview of Council provided that there shall not be more than one teacher from any one college at a time".

What has been happening was that all matters regarding the control of the University over the colleges used to be referred to the Executive Council. Now on the Executive Council, the association of the college teachers is not very much. I do not exactly have the details at the moment, but I can find them out.

You will see that in the College Council, there are 5 Principals and 5 teachers of colleges, themselves who will be acting as watchdogs over the interests of the teaching that will be going on in the colleges. Therefore, whatever misapprehensions there might be, should in my opinion, be removed.

So far as consultation with the teachers is concerned, before writing his letter, the Vice-Chancellor consulted the Deans and a very large number of other senior professors who were available to him. It was after consulting them that he wrote this letter to me on 9th June.

श्री सरजू पाण्डे (गाजीपुर) अभी माननीय मंत्री जी ने अध्यापको की हड़ताल के बारे में कहा कि उन्हें अध्यापकों की हड़ताल के बारे में दुःख है, अध्यापको ने जो इस तरह से हड़ताल की, यह अच्छा नही किया। लेकिन जब माननीय मंत्री जी उस जगह पर थे, तब वह भी यही काम

करते थे जो आज अध्यापक कर रहे हैं। यह तो उन का हक़ है, अगर कोई मिसअण्डरस्टेण्डिंग हो या कोई बुरा काम हो रहा हो तो वे भी विरोध या प्रदर्शन कर सकते हैं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस कान्सिल के बनाने की क्या आवश्यकता थी, पुराने तरीकों को क्यों नहीं चलने दिया गया? उन की स्ट्राइक के बाद क्या मंत्री जी ने अध्यापकों को बुला कर उन की मिसअण्डरस्टेण्डिंग को दूर करने का प्रयास किया, उन से बातचीत की? पहली बार कन्सलटेशन वाइस-चान्सलर के साथ हुआ, उस के बाद उन्होंने अध्यापकों को बुला कर बातचीत कर के मामले को हल करने का प्रयास क्यों नहीं किया?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जनाबवाला, मैं इस बात को पूरी तरह से जानता हूं कि हर शख्स को, खास तौर पर यूनिवर्सिटी और कालिजों के टीचर्स को अपनी राय जाहिर करने और गवर्नमेंट की किसी भी पालिसी को क्रिटिसाइज करने और किसी भी नेशनल या इन्टरनेशनल ईशू पर अपनी राय जाहिर करने का पूरा हक है। आप को याद होगा कि एजूकेशन के बारे में जो नेशनल पालिसी रेजोलूशन पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, उस में इस बात का जिक्र किया गया है कि टीचर्स को अपनी राय जाहिर करने का पूरा हक होना चाहिये — खास तौर से नेशनल और इन्टरनेशनल मुआमलात में। जहां तक यूनिवर्सिटी के मुआमलात हैं, उनमें भी राय जाहिर करने का पूरा हक है और होना चाहिये और मैं हमेशा इस बात का पूरी तरह से कायल रहा हूं। मैं जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा था, उस का अगर स्पष्टीकरण न कराया जाय तो बेहतर है, वह एक तरीका है जो कुछ टीचर्स ने प्रदर्शन के दौरान अपनाया। मेरे ख्याल में अगर वह न होता तो ज्यादा बेहतर था।

जहां तक टीचर्स एसोसिएशन के नुमाइन्दों से बातचीत करने का सवाल है, जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मुझे चिट्ठी भेजी कि वह मुझ से मिलना चाहते हैं, मैंने फौरन उन को वक्त दिया। इत्तिफाक से उस वक्त उन लोगों ने यह फैसला कर लिया था कि वह प्रदर्शन करेंगे। मैंने अब उन को फिर इत्तिला दी है और जल्द से जल्द मैं उन से मिल कर उन के जो डाउट्स हैं, जो उन के मन में शिकायतें हैं, शकूक हैं, उन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं उन को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि वाइस चान्सलर यूनिवर्सिटी के टीचर्स के इन्टरेस्ट के बारे में पूरी तरह से खुद विजिलेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन का दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन से बहुत करीब का सम्बन्ध रहा है और किसी भी स्टेज पर उन्होंने यह नहीं चाहा कि कोई ऐसी बात यूनिवर्सिटी में की जाये जिस से यूनिवर्सिटी या कालिजिज के टीचर्स का किसी तरह का नुक्सान पहुंचे। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार किसी तरह से कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती है कि जिस से टीचर्स को नुक्सान हो या टीचर्स का जो कोआपरेशन यूनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर हासिल करना चाह रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई गलतफैमी पैदा हो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में ता० 2 को 3500 शिक्षकों ने हड़ताल की, 44 कालिज बन्द रहे। मैं आप की इस बात की तारीफ करता हूं कि आप वाइस चान्सलर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं —लेकिन असलियत यह है कि आप कैम्पस-कालिजिज और नान-कैम्पस कालिजिज के अध्यापकों में फर्क डालना चाहते हैं। जो टीचर कालिज में पढ़ाता है उस का आप 700 रु० से 1200 रु० देते हैं, उस को यूनिवर्सिटी कैम्पस से रीडर कहा जाता है, लेकिन बाहर के कालिज में टीचर कहा जाता है—आप उन को एक नहीं करना चाहते हैं।

वर्क-लोड को ले लीजिये —जो बाहर के कालिजिज है उन में लैक्चरार को कितने घंटे काम करना पड़ता है और जो आप की यूनिवर्सिटी कैम्पस में पढ़ाते हैं उन को कितने घंटे काम करना पड़ता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की संस्थाओं और बाहर की संस्थाओं

[श्री मूलचन्द डागा]

शिक्षा के मामले मे सब का साझा प्रतिनिधित्व हो और उस के द्वारा सब का सचालन हो, लेकिन आप ऐसा करना नही चाहते, आप तो चाहते हैं कि दोनो मे भेद हो जाये, क्योकि वर्क-लोड के मामले मे तनख्वाह के मामले मे अन्तर है। लेकिन आप बडे ढग से कहते हैं कि हम शिक्षको से भेद करना नही चाहते लेकिन आपके दिमाग मे भय है। जो कैम्पस मे कालेजेज है उन मे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिग होगी लेकिन जो नान-कैम्पस मे है उन मे नही होगी, इस से आप की बात मे फर्क आया है। जो 35 सौ शिक्षक थे वे वही शिक्षक हैं जिनसे कि देश बनना है। उन शिक्षकों ने आपके आर्डिनेस को जलाया है। आप कहते हैं कि हमने उन से बातचीत की है लेकिन वाइस चान्सर कहता है कि जो कदम मैं ने उठाया है वह पीछे नही होगा। डिमोक्रेसी मे ऐसी बात नही होती है। जो वाइस चान्सर है उनको इस डिमोक्रेसी में दूसरो की बात भी सुननी होगी। आखिर आप कैम्पस और नान-कैम्पस कालिजेज मे क्या फर्क करना चाहते हैं? आप काम करने के घटो मे क्यो फर्क करना चाहते हैं? आप कहते हैं कि सुचारू रूप से शासन चलेगा, हम कहते हैं कि विश्वविद्यालय मे उन शिक्षका का भी प्रतिनिधित्व दे दीजिये जोकि बाहर है तब शासन ठीक चलेगा। आप कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिग के लिये दूसरे कालेज मे नही रखेगे जिस का मतलब होगा सारे लोगो का दिल्ली के कैम्पस मे आना होगा। आप कहते हैं 3500 शिक्षको ने हडताल कर ली। आप शिक्षक हैं। यह मामला इतना आसान नही है। शिक्षक क्या मागते हैं, आप बतलायें। शिक्षको ने क्या कहा, जिस बात के लिये झगड़ा हुआ, वह बात आप पार्लियामेट के सामने रखिये। आप क्या उत्तर देना चाहते हैं वह बतलायें।

प्रो० एस० नुरुल हसन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हू कि जबसे मैंने होश सम्भाला है, मैंने समाजवाद समझने की कोशिश की है लेकिन जिस समाजवाद का इस वक्त जिक्र हो रहा है वह मेरे पल्ले नही पडता।

दूसरी बात जो डागा जी ने फरमाई है कि कैम्पस कालेजेज और नान-कैम्पस कालेजेज मे भेद करना चाहते हैं तो जो भी रिप्रेजेन्टेशन टीचर्स ने दिया है उसमे इसका जिक्र नहीं किया है। जहातक तनख्वाहो का सवाल है, जो तनख्वाहे कैम्पस कालेजेज मे हैं वही तनख्वाहें नान-कैम्पस कालेजेज मे है। नान-कैम्पस कालेजेज मे सीनियर लेक्चरस मुकर्रर होते है 25 फीसदी उसी तरह से कैम्पस कालेजेज मे मुकर्रर होते है इसमे मुझे तो किसी तरह का अन्तर दिखाई नही देता। (व्यवधान) मुझ मे इतनी हिम्मत नही है बताने की कि आइन्दा क्या होने वाला है, मैं सिर्फ यही बता सकता हू कि सरकार की नीति क्या है। मैं आप से यह भी अर्ज कर सकता हू कि वाइस चासलर की नीति क्या है क्योकि मेरी बहुत तफसीली गुफ्तगू उन से इस मामले पर हो चुकी है। यह जो 25 परसैंट सीनियर लेक्चरस कालेजेज मे होते हैं उसी तरह से यूनिवर्सिटी मे जो मुकर्रर होते है डाइरेक्टली उनको रीडर कहते हैं हालाकि तनख्वाहे दोनो की 700-1250 के ग्रेड मे होती है। उसमे कोई अन्तर नही है। जहा तक जिम्मेदारी का सवाल है, मैं सिर्फ समझ सकता हू इसलिए कि यह फैसला यूनि-वर्सिटी का अपना फैसला है, इसको गवर्नमेट ने नही किया है। लेकिन जहा तक मैं समझ सकता हू कि वह यह है कि जो स्टैट्यूट्स रीडर का मुकर्रर करने के लिये हुए थे उन स्टैट्सयूट् के तहत बाकायदा सेलेक्शन कमेटी जिसमे एक्सटर्नल एक्सपर्टस हो होना जरूरी था। वह आल इडिया सेलेक्शन की बेसिस पर तर्रकी होती रही है। जहा तक सीनियर लक्चरस का मामला था गालिबन इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने तय किया कि एक को एक डेजिग्नेशन देवे और और दूसरे का दूसरा डेजिग्नेशन देवे।

जहा तक और इसके अलावा मुझे इल्म है यूनिवर्सिटी का, जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य मे कहा है कि इस समय पालिसी हम सब की यह है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को इन्वाल्व किया जाये पोस्ट ग्रेजुएट टीचिग मे। इसके अलावा मेरी अपनी जाती राय यह है कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका रिसर्च का मिलना चाहिये। रिसर्च की

फैसिलिटीज मौजूद है लेकिन मेरी राय मे इनको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है । मैं उम्मीद करता हू जैसे-जैसे फड्स एवलेविल होगा रिमर्च की फैसिलिटीज और ज्यादा दी जायेंगी । लेकिन जहा तक टीचर्स को पोस्ट ग्रेजूएट टीचिंग मे, लेक्चरर्स को ट्यूटोरियल्स मे इन्वाल्व करने का सवाल है उसमें जो भी शिक्षक इसके योग्य पाये जायेंगे उन सबको, चाहे कैम्पस कालेजेज के और चाहे कैम्पस के बाहर के, इन्वाल्व करने की नीति पूरी तरह से है ।

श्री कमल मिश्र मधुकर (केसरिया): यह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिक्षको ने हड़ताल की है यह सवाल केवल दिल्ली का ही नही है बल्कि पूरे देश मे आज शिक्षक समुदाय मे गहरा असंतोष है । वे चाहते है कि ऐसी शासन व्यवस्था हो जिससे उनमे असंतोष दूर हो सके तथा उनमे ऐसी चेतना पैदा हो जाये कि वे अपने दायित्व को समझे और सतुष्ट रहे । आज इस बात की सबसे बड़ी आवश्यकता है । वे एक माइन्ड बनाने वाली फैक्टरी है । यह समुदाय नौजवानो के माइन्ड को बनाता है । अगर उन्ही मे असंतोष रहेगा तो फिर जो आपके लक्ष्य हैं वे पूरे नही होगे और देश का भविष्य भी अच्छा नही रहेगा । लेकिन बदकिस्मती यह है कि आपकी मैं यहा पर तुलना करू तो आप एक ऐसे भले आदमी की तरह हैं जिसकी नीयत अच्छी हो लेकिन जो परिणाम आये वह नीयत के अनुसार न हो । इतिहास मे ऐसे एक बदकिस्मत आदमी हुमायुं का नाम है । वह बहुत अच्छा था लेकिन कुछ कार्यवाहिया हुई जिससे उसकी नेकनीयती का अन्त अच्छा नही हुआ । अलीगढ़ विश्वविद्यालय बिल पर जो एजिटेशन चला, वहां पर मैं भी गया था और मैंने बहुत से प्रगतिशील शिक्षकों से बातचीत की थी लेकिन मुझे यह बतलाने का मौका नही मिला । उसमें आपने जो कुछ किया है, कुछ अच्छा काम भी किया है जिसकी मैं तारीफ करता हूं लेकिन साथ ही वहां भी जो शिक्षकों का समुदाय है, जो प्रशासन है उसका जनवादीकरण करने के बजाये आपने ब्यूरोक्रेसी को ही बढ़ाया है वही हालत इस दिल्ली विश्वविद्यालय में करने जा रहे हैं । इस लिहाज से आप उसको चाहे कोई भी रूप दे लेकिन आम तौर पर शिक्षको की धारणा बन गई है कि आप के जरिये जो बिल लाया जा रहा है उस मे शिक्षको का असतोष और बढ़ेगा, ब्यूरोक्रेसी का जोर बढेगा, और जो उनकी बुनियादी समस्यायें हैं वे हल नही हो पायेंगी।

जैसा माननीय डागा जी ने कहा है, मै उसको दोहराना नही चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हू कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार शिक्षक लोगो की सर्विस काट्रैक्चुयल बेसिस पर है । तो क्या आप इस बिल के द्वारा उन की स्थायी सेवा की सुरक्षा देने जा रहे है कि नही? क्या आप उन को गारन्टी दे रहे हैं कि उन्हे रनिंग ग्रेड मे रखा जायेगा और उनके प्रोमोशन की सुविधायें सुनिश्चित करने जा रहे हैं या नही ?

जहा तक शिक्षकों, स्टाफ, और विद्यार्थियो के प्रतिनिधित्व का सवाल है, मैं जानना चाहता हू कि जो निर्णय करने वाले प्रशासकीय निकाय हैं क्या उन मे उनका समुचित स्थान होगा? साथ ही आप ने बिल मे बताया है कि शिक्षको प्रतिनिधित्व होने जा रहा है । जब कि वास्तव मे यह बात नही है क्योंकि उस मे प्रिन्सिपल भी रहेंगे प्रिन्सिपल लोगो की जो डबल भूमिका होती है वह हम सब जानते हैं । एक तरफ तो वह उच्च अधिकारियो को खुश करना चाहते है और दूसरी तरफ शिक्षको और विद्यार्थियो को लड़ाना चाहते हैं । नतीजा यह होगा है कि शिक्षको, विद्यार्थियां और प्रिन्सिपल के ट्रायेन्गिल के बीच मे समस्यायें बराबर बनी ही रहती हैं और किसी समस्या का निदान नही हो पाता है । इसलिये मै जानना चाहता हू कि आप ने कौन से ऐसे कदम उठाये हैं जिन से यह कहा जा सके कि इस मामले मे आप जनवादिकरण की ओर बढ़े हैं और शिक्षको और विद्यार्थियों का उसमें सहयोग मिलेगा तथा जिन असतोषो की चर्चा माननीय सदस्यो की हैं उन को दूर करने की दिशा मैं इस बिल द्वारा आप ने कोई काम किया है ?

[श्री कमल मिश्र मधुकर]

इसी प्रकार एक पैट्रिक गिल साहब रौकफैलर अनुदान के अधीन दिल्ली विश्वविद्यालय के काम कर रहे थे, उन्होने यह योजना बनायी थी कि कैम्पस और दूसरे कालिजों को अलग कर दिया जाये और ऐसे ग्रेड बना दिये जाये जिसके जरिये हमेशा शिक्षको और विद्यार्थियो मे लडाई चलती रहे। वह सी० आई० ए० के आदमी थे। पता नही उन का यह आईडिया किस ढग से आप के दिमाग मे ला दिया गया है, । जो गिल साहब ने सुझाव दिया वह ही चीज इस बिल म आ रही है। यह सुझाव आप के दिमाग मे कैसे आ गया ?

साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हू कि अमेरिकन एड से बहुत सी रिसर्चेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती हैं क्या आप ने कभी देखा है कि उस रिसर्च का क्या अन्जाम हो रहा है देश के लिये ?

अन्त मे मेरा निवेदन है कि ये जो कमिया हैं, जिनकी ओर माननीय सदस्यो ने आप का ध्यान दिलाया है, उन को दूर करने की दिशा मे आप कदम उठाइये और इन मुद्दो पर आप कैटेगारिकल जवाब दीजिये ताकि शिक्षको और विद्यार्थियो का असतोष खत्म हो, साथ ही शिक्षा का जनवादीकरण हो।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जनाबवाला, कुछ दिक्कतें पेश आ गयी माननीय सदस्यो की तकरीरो से। जिन कन्सेप्ट्स का जिक्र किया गया है उन पर मैं बाद मे कहूगा। पहली चीज यह कहना चाहता हू कि टीचर्स की सेक्योरिटी आफ सर्विस को एनश्योर करने के लिये हर मुमकिन कोशिश जो गवर्नमेंट के हाथ मे है, वह की जायगी। और इस के लिये कामप्रीहेन्सिव बिल बाद मे मैं इस सदन में लाना चाहता हू, उस मे जहा तक कानून की हदो मे मुमकिन है वहा तक हम टीचर्स की सिक्योरिटी आफ सर्विस को पूरी तरह से एनश्योर करेंगे।

दूसरी चीज है प्रोमोशन के बारे मे। तो प्रोमोशन के मामले से, जैसा कि मैं पहले सवाल के जवाब में गुजारिश कर चुका हू कि यू०जी०सी० ने जो कमेटी बनायी थी गवर्नेन्स आफ यूनिवर्सिटीज के सिलसिले मे, उसमे एक हिस्सा था गवर्नेन्स आफ यूनिवर्सिटी का, दूसरा हिस्सा था कालेजो के और यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध का और तीसरा हिस्सा था टीचर्स की कडीशनस आफ सर्विस का। तो पहला हिस्सा रिपोर्ट का आ चुका है, वह इस सदन मे पेश किया जा चुका है। जहा तक स्टाफ की और टीचर्स की कडीशन्स आफ सर्विस और उन के प्रोमोशन की फेसिलिटीज का सवाल है, हम उस रिपोर्ट का इनजार कर रहे हैं। जैसे ही वह रिपोर्ट आयेगी, उस का इस सदन के सामने भी पेश किया जायेगा और जो सरकार का निर्णय उस सिलसिले मे होगा वह भी इस सदन के सामने इस की स्वीकृति के लिये पेश किया जायेगा जरूर। जहा तक स्टाफ और स्टूडेंटस रिप्रजेन्टेशन का सवाल है तो इस के सिलसिले मे जो कामप्रीहेन्सिव बिल लाया जाने वाला है

श्री कमल मिश्र मधुकर स्टाफ और स्टूडेंट्स के रिप्रजेन्टेशन के बारे में जरा तफसील मे बताइये।

PROF S NURUL HASAN : What I am saying is, so far as the question of representation of staff and students is concerned, the recommendations of the Gajendragadkar Committee have been placed before the House. They have been accepted by the Government and, broadly speaking the comprehensive Bill which will be brought for the consideration of this House will take full note of these recommendations.

A reference was made to Mr Gill. I do not know who Mr. Gill is. I wish the hon Member would tell me privately. If there is anything which is going wrong, I will certainly look into the matter or draw the attention of the authorities which are competent to deal with the matter to take it up.

So far as the question of associating the teachers with the administration of colleges is concerned, probably, the hon. Member

is aware of the fact that by an Ordinance, the Delhi University has created an institution of Councils. Therefore, all the basic and major decisions in any college are taken in consultation with the Council of the College, broadly, with all the teachers.

A word has been said about democracy. My difficulty is that of a teacher. I had heard till now and understood that democracy means the rule of the people. In this country, the people have chosen to rule themselves through their elected representatives who are sitting here and the other House. Parliament collectively represents the principle of democracy. Now, I cannot understand what is the reference to democracy insofar as the administration of the university or a college is concerned.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Democratisation.

PROF. S. NURUL HASAN : That is what I am trying to understand. Democratisation means greater control and vigilance being exercised by the elected representatives of the people. If the hon. Member would bear with me, I want to show him the respect which is due to him not only as the hon. Member of this House but as a leader of a party. All that I was trying to submit is that we are trying to involve the entire teaching community with the process of decision-making at as many levels as possible. For example, there is the question of framing of syllabus, who is to teach that syllabus, how are examiners to be appointed, how are research subjects to be allotted and things like that. In the processing of running a college or a university department our whole attempt is that as many people as possible should be involved. That is the principle which has been explained at some length by the Gajendragadkar Committee and which has been accepted by the Government.

श्री राम कंवर (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, यह जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कालेजों की काउन्सिल बनायी गयी है इस के लिये अध्यापकों में बड़ा भारी डर बैठा हुआ है और वह डर इसलिये है कि उन को इस बात का खतरा है कि हमारा नाता यूनिवर्सिटी से हटा दिया जायेगा। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि उनका नाता क्या हमेशा के लिये यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहेगा और वह टूटेगा नहीं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जनाबवाला, मैंने जो अपने वक्तव्य मे यह कह दिया था और इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि न सिर्फ गवर्नमेंट की राय में और यहां के अधिकारियों की राय मे यह नाता टूटना नही चाहिये बल्कि वह और मजबूत होना चाहिये। अगर कोई कोशिश की जायेगी इस नाते को तोड़ने की तो कम से कम यूनिवर्सिटी की ऐथारिटीज यह नहीं चाहती है कि नाता तोड़ें और गवर्नमेंट भी इस को एक रैट्रोग्रेड स्टैप समझती है।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Is it a step in delinking colleges from the University ?

PROF. S. NURUL HASAN : An assurance by a Minister in the House is binding.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What about the Statute ? I have brought so many papers. But, I am sorry, the ballot did not favour me.

12.41 hrs.

RE. PROCEEDINGS OF THE HOUSE

SHRI N. K. P. SALVE (Betul) : On a point of submission regarding Press reports connected with certain proceedings of the House—some disquieting feature. It does not add to the dignity of the House or to the esteem of the House. Certain unfortunate things were said or reported to have been said here. I am not sure